श्री सभापतिः प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... यह आपका सवाल नहीं है। ...(**व्यवधान**)... बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, किसान की जो लागत है, उसका डेढ़ गुना मुनाफा किसान को मिले और इसके लिए हमने योजनाएं चलाई हैं। ...(**व्यवधान**)... हमने योजनाएं चलाई हैं कि कम लागत, उत्पादन ज्यादा, अच्छा मार्केट और समर्थन मूल्य भी समय-समय पर बढ़ाना। ...(**व्यवधान**)...

देश में सूखे की स्थिति

*64. **श्री नरेश अग्रवाल** : क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के कई इलाके इस समय भयंकर सूखे की चपेट में हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक देश के किन इलाकों को सूखाग्रस्त चिन्हित किया गया है और वहां पानी की सुविधा देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जैसे इलाकों की स्थिति क्या है?

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) 2015-16 के दौरान कम मॉनसून के कारण कर्नाटक (खरीफ एवं रबी दोनों के लिए), छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान सरकारों ने अपने राज्यों के कुछ भागों में सूखे की घोषणा करने के पश्चात् राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। सूखा प्रभावित राज्यों को एनडीआरएफ से वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित निधियों के संबंध में ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(रुपये करोड़ में)

1.	कर्नाटक (खरीफ और रबी दोनों के लिए)	1540.20
		723.23
2.	छत्तीसगढ़	1276.25
3.	मध्य प्रदेश	2032.68
4.	महाराष्ट्र	3049.36
5.	ओडिशा	815.00
6.	तेलंगाना	791.21
7.	उत्तर प्रदेश	1304.52
8.	आंध्र प्रदेश	433.77
9.	झारखंड	336.94
10.	राजस्थान	1193.41
	कुल	13496.57

वर्ष 2015-16 और 2016-17 में राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में केंद्रीय अंश के रूप में केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित धनराशि निर्मुक्त की है।

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	2015-16	2016-17 प्रथम किस्त
1.	कर्नाटक	207.00	108.75
2.	छत्तीसगढ़	249.725	94.875
3.	मध्य प्रदेश	657.75	345.375
4.	महाराष्ट्र	1112.25	853.875
5.	ओडिशा	560.25	294.375
6.	तेलंगाना	205.50	108.00
7.	उत्तर प्रदेश	506.25	265.875
8.	आंध्र प्रदेश	330.00	173.25
9.	झारखंड	273.00	143.25
10.	राजस्थान	827.25	434.25
	कुल	4928.975	2551.875

राज्यों के पास एसडीआरएफ के तहत उपलब्ध निधियों को मापदंडों के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है।

सूखे से प्रभावित राज्यों में सूखा प्रभावित के रूप में चिन्हित जिलों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है (नीचे **देखिए**) इस सूची में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा उनकी सूचना दिनांक 25.04.2016 के तहत सूखा प्रभावित के रूप में घोषित 7 अतिरिक्त जिले शामिल है। गुजरात सरकार ने 5 जिलों में सूखा (अर्द्ध अल्पता प्रभावित क्षेत्र) घोषित किया है।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (डीडब्ल्यू एंड एस) ने राज्यों को सूखे के मौसम के शुरुआत में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) की 10 प्रतिशत फ्लेक्सी निधियों के उपयोग की भी अनुमति दी है और पेयजल की कमी से निपटने के लिए राज्यों को निम्नलिखित उपाय करने के निदेश दिए हैं:

(i) सभी जल आपूर्ति पद्धति, हैंडपंप और बोरवेल की तुरंत मरम्मत की जानी चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों में स्पेयर पार्ट के साथ आवश्यक पर्याप्त संख्या में मोबाइल वैन उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ii) ऐसे बहुत सारे निजी बोरवेल हैं जिनमें भूमिगत जल उत्पादन अच्छी मात्रा में है। इनको जिला कलेक्टरों द्वारा किराए पर लिया जाना चाहिए और प्रभावित आबादी में जल को समान मात्रा में वितरित करना चाहिए।

(iii) जल तालिका में गिरावट के कारण हैंडपंपों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अधिक राइजर पाइपों का उपयोग किया जाए। प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में राइजर पंपों का उपयोग करना चाहिए।

(iv) जहां कहीं भी जलाशय/तालाब उपलब्ध हैं, उनका उपयोग जल आपूर्ति पद्धति पाइपों के माध्यम से पेयजल की क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहिए।

(v) जहां कहीं भी जलभृत अच्छे हैं नए बोरवेल लगाने चाहिए।

(vi) जहां कहीं भी ऐसा करना संभव नहीं है तो जल टैंकरों के माध्यम से पानी लाया जाना चाहिए और प्रभावित आबादी में इसकी आपूर्ति की जानी चाहिए। जहां जल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है वहां स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए मोबाइल जल उपचार प्लांट उपयोग में लाए जाने चाहिए।

एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत 21.04.2016 तक केंद्रीय अंश के रूप में 10 सूखा प्रभावित राज्यों के पास 1775.47 करोड़ रुपए की कुल धनराशि उपलब्ध है जिसे राज्य सरकार के बराबर अंश के साथ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

विवरण

सूखा प्रभावित घोषित जिलों का राज्यवार विवरण

2015-16 के दौरान

क्रम सं.	राज्य का नाम/ कुल जिलों की संख्या	प्रभावित जिलों के नाम	प्रभावित जिलों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	बंगलौर ग्रामीण, रामानगरा, कोलार, चिकबालपुर, तुमकुरू, चित्रदुर्ग, दावणगिरी, चामराजनगर, मैसूर, मांड्या, बेल्लारी, कोप्पल, रायचूर, कुलबर्गी, यादगीर, बीदर, बेलगावी, बागलकोट, विजापुर, गडग, हावेरी, धारवाड़, शिवमोगा, हसन, कोडागू, उत्तर कन्नडा, चिकमंगलूर सूखा - खरीफ - (12 जिलों को पहले ही खरीफ सूखे के दौरान सूखा प्रभावित घोषित किया गया था)	27

1	2	3	4
		बेल्लारी, कोप्पल, रायचूर, कालबुर्गी, यादगीर, बीदर, बेलगावी, बगलकोट, विजयपुरा, गडग, हावेरी, धारवाड़।	
2.	छत्तीसगढ	रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद धमतारी, दुर्ग, बालोद, बेमात्रा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दांतेवाडा, सुकमा, बीजापुर, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चंप, कोरबा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, रायगढ़, जशपुर	25
3.	मध्य प्रदेश	कटनी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, टीकमगढ़, रीवा, जबलपुर, सीधी, सागर, दमोह, सिवनी, सिंगरोली, श्योपुर, छतरपुर, भिंड, पन्ना, सतना, डिण्डोरी, शिवपुरी, मंदसौर, मुरैना, झाबुआ, भोपाल, उज्जैन, नीमच, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, खंडवा, रतलाम, नरसिंहपुर, गुना, बैतूल, बुरहानपुर, आगर मालवा, सीहोर, इंदौर, धार, शाजापुर, हरदा, छिंदवाड़ा, देवास, अशोकनगर, खरगोन, होशंगाबाद, बड़वानी	46
4.	महाराष्ट्र	नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, अहमदनगर, पुणे, सतारा, सांगली, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभणी, हिंगोली, बुलढाना, अकोला, यवतमाल, नागपुर, गढ़चिरौली, सोलापुर, अमरावती, वाशिम, वर्धा, भंडारा, चंद्रपुर, गोंडिया	28
5.	ओडिशा	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, बलांगीर, बौध, कटक, देवगढ़, ढेंकानाल, गजपति, गंजाम, जाजपुर, झारसुगुडा, कालाहांडी, कंधमाल, क्योंझर, खोर्धा, कोरापुट, मयूरभंज,	27

1	2	3	4
		नुआपाड़ा, नबरंगपुर, नयागढ़, पुरी, रायगढ़, संबलपुर, सुबारनपुर, सुंदरगढ़, भद्रक	
6.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, चित्तूर, वाईएसआर, कडप्पा, कुरनूल, प्रकाशम, एसपीएसआर नेल्लोर, गुंटूर, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, कृष्णा	10
7.	उत्तर प्रदेश	संत रविदास नगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, बलिया, सिद्धार्थ नगर, शाहजहांपुर, बांदा, प्रतापगढ़, चंदौली, इटावा, बस्ती, बागपत, जौनपुर, फैजाबाद, गोंडा, कन्नौज, बाराबंकी, संत कबीर नगर, झांसी, जालौन, गोरखपुर, हाथरस, एटा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, फर्रूखाबाद, मऊ, उन्नाव, रामपुर, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट, कानपुर नगर, लखनऊ, देवरिया, मैनपुरी, महाराजगंज, आगरा, औरैया, पीलीभीत, अमेठी, महोबा, रायबरेली, कुशीनगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, फतेहपुर, अम्बेडकर नगर और बलरामपुर	50
8.	तेलंगाना	महबूबनगर, मेडक, निजामाबाद, रंगा रेड्डी, नालगोंडा, करीमनगर और वारंगल	7
9.	झारखंड	रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, चतरा, दुमका, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह	22
10.	राजस्थान	अजमेर, बांसवाड़ा, बारन, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़	19
11.	गुजरात	राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, कच्छ, पोरबंदर	05
	कुल		**266**

Drought situation in the country

†*64.SHRI NARESH AGRAWAL: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several areas in the country are reeling under severe drought;

(b) if so, the areas identified as drought hit so far in the country and the steps being taken to provide water facility there; and

(c) if not, the status of areas like Vidarbha in Maharashtra and Bundelkhand in Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Due to deficit monsoon during the year 2015-16, Governments of Karnataka (both for Kharif and Rabi), Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Jharkhand and Rajasthan submitted Memoranda Seeking financial assistance from National Disaster Response Fund (NDRF) after declaring drought in several parts of those States. The details regarding funds approved during 2015-16 from the NDRF to drought affected States are as under:-

(₹ in crore)

1.	Karnataka (both for Kharif and Rabi)	1540.20
		723.23
2.	Chhattisgarh	1276.25
3.	Madhya Pradesh	2032.68
4.	Maharashtra	3049.36
5.	Odisha	815.00
6.	Telangana	791.21
7.	Uttar Pradesh	1304.52
8.	Andhra Pradesh	433.77
9.	Jharkhand	336.94
10.	Rajasthan	1193.41
	TOTAL	13496.57

† Original notice of the question was received in Hindi.

The Central Government had released following amounts as Central share in the State Disaster Response Fund (SDRF) in 2015-16 and 2016-17.

(₹ in crore)

Sl. No.	State	2015-16	2016-17 (1st Installment)
1	Karnataka	207.00	108.75
2	Chhattisgarh	249.725	94.875
3	Madhya Pradesh	657.75	345.375
4	Maharashtra	1112.25	583.875
5	Odisha	560.25	294.375
6	Telangana	205.50	108.00
7	Uttar Pradesh	506.25	265.875
8	Andhra Pradesh	330.00	173.25
9	Jharkhand	273.00	143.25
10	Rajasthan	827.25	434.25
	TOTAL	4928.975	2551.875

The funds available under SDRF with the States can be utilized for the purpose of providing drinking water as per norms.

The details of districts identified as drought affected in drought hit States is given in the Statement (*See* below). The list includes 7 additional districts declared as drought affected by the State Government of Maharashtra as per their intimation dated 25.04.2016. Government of Gujarat has declared drought (semi scarcity affected areas) in 5 districts.

The Ministry of Drinking Water and Sanitation (DW&S) has also allowed States to use flexi funds to the extent of 10% of National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) at the onset of the summer season and directed the States to take following measures to mitigate the shortage of drinking water:

(i) Immediate repair and maintenance of all water supply system, hand pumps and bore wells should be done. If required sufficient number of mobile van with spare parts should be made available in the affected areas.

(ii) There are a large number of private bore wells where groundwater yield is good. These should be hired by the district collectors and water should be equitably distributed to the affected population.

(iii) Due to fall in water table, more riser pipes may be used to increase the yield of the hand pumps. Sufficient number of riser pumps may be used to increase the availability of drinking water in the affected areas.

(iv) Wherever water reservoir/ponds are available, they may be used to increase the capacity of drinking water through piped water supply system.

(v) Wherever aquifer is good, new bore wells should be set up.

(vi) Wherever the above possibilities are not suitable, water should be transported through water tankers and supplied to the affected population. Wherever water quality is not good, mobile water treatment plants should be used to provide safe drinking water.

Under NRDWP, as on 21.04.2016, a total amount of ₹ 1775.47 crore is available with the 10 drought affected States as central share, which along with the matching share from the State Government can be utilized to arrange for drinking water.

Statement

State-wise details of districts declared drought affected during 2015-16

Sl. No.	Name of State/ total number of districts	Name of the affected districts	Total No. of districts affected
1	2	3	4
1.	Karnataka	Bangalore Rural, Ramanagara, Kolar, Chickballapur, Tumakuru, Chitradurga, Davanagere, Chamarajanagar, Mysuru, Mandya, Ballari, Koppal, Raichur, Kalaburgi, Yadgir, Bidar, Belagavi, Bagalkote, Vijapura, Gadag, Haveri, Dharwad, Shivamogga, Hassan, Kodagu, Uttara Kannada, Chikkamagalur	27
		Drought - Kharif - (12 districts already declared as drought affected during Kharif also)	
		Ballari, Koppal, Raichuru, Kalaburagi, Yadagir, Bidar, Belagavi, Baglkote, Vijayapura, Gadag, Haveri, Dharwad.	

1	2	3	4
2.	Chhattisgarh	Raipur, Gariaband, Mahasamund, Dhamtary, Durg, Balod, Bemetara, Rajnandgaon, Kabirdham, Kastar, Kondagaon, Narayanpur, Kanker, Dantewara, Sukma, Bijapur, Bilaspur, Mungeli, Janjgir-Chamap, Korba, Balrampur, Surajpur, Koria, Raigarh, Jashapur	25
3.	Madhya Pradesh	Katni, Shahdol, Umaria, Anuppur, Tikamgarh, Rewa, Jabalpur, Sidhi, Sagar, Damoh, Seoni, Sigroli, Sheopur, Chhatarpur, Bhind, Panna, Satna, Dindori, Shivpuri, Mandsaur, Morena, Jhabua, Bhopal, Ujjain, Neemuch, Vidishia, Raisen, Rajgarh, Khandwa, Ratlam, Narsinghpur, Guna, Betul, Burhanpur, Agar Malwa, Sehore, Indore, Dhar, Shajapur, Harda, Chhindwara, Dewas, Ashoknagar, Khargone, Hoshangabad, Badwani	46
4.	Maharashtra	Nashik, Dhule, Nandurbar, Jalgaon, Ahmednagar, Pune, Satara, Sangli, Aurangabad, Jalna, Beed, Latur, Osmanabad, Nanded, Parbhani, Hingoli, Buldhana, Akola, Yavatmal, Nagpur, Gadchiroli Solapur, Amaravati, Washim, Wardha, Bhandara, Chandrapur, Goandia	28
5.	Odisha	Angul, Balasore, Bargarh, Balangir, Boudh, Cuttack, Deogarh, Dhenkanal, Gajapati, Ganjam, Jajpur, Jharsuguda, Kalahandi, Kandhamal, Keonjhar, Khordha, Koraput, Mayurbhanj, Nuapada, Nabarangpur, Nayagarh, Puri, Rayagada, Sambalpur, Subarnapur, Sundargarh, Bhadrak	27

1	2	3	4
6.	Andhra Pradesh	Anantapur, Chittoor, YSR Kadapa, Kurnool, Prakasam, SPSR Nellore, Guntur, Srikakulam, Vizianagaram, Krishna	10
7.	Uttar Pradesh	Sant Ravidas Nagar, Sonbhadra, Sultanpur, Mirzapur, Ballia, Sidharthnagar, Shahjahanpur, Banda, Pratapgarh, Chandauli, Etawah, Basti, Baghpat, Jaunpur, Faizabad, Gonda, Kannauj, Barabanki, Sant Kabir Nagar, Jhansi, Jalaun, Gorakhpur, Hathras, Etah, Allahabad, Ghaziabad, Farrukhabad, Mau, Unnao, Rampur, Hamirpur, Lalitpur, Chitrakoot, Kanpur Nagar, Lucknow, Deoria, Mainpuri, Maharajganj, Agra, Auraiya, Pilibhit, Amethi, Mahoba, Rae Bareily, Kushinagar, Kanpur Dehat, Kaushambi, Fatehpur, Ambedkar Nagar and Balrampur	50
8.	Telangana	Mahabubnagar, Medak, Nizamabad, Ranga Reddy, Nalgonda, Karimnagar and Warangal	7
9.	Jharkhand	Ranchi, Khunti, Lohardaga, Gumla, Simdega, West Singhbhum, Saraikela, East Singhbhum, Palamu, Garhwa, Latehar, Hazaribagh, Ramgarh, Koderma, Dhanbad, Bokaro, Chatra, Dumka, Godda, Deoghar, Jamtara, Giridih	22
10.	Rajasthan	Ajmer, Banswara, Baran, Barmer, Bhilwara, Chittorgarh, Churu, Dungarpur, Hanumangarh, Jaipur, Jaisalmer, Jalor, Jhunjhunu, Jodhpur, Nagaur, Pali, Rajsamand, Udaipur, Pratapgarh	19
11.	Gujarat	Rajkot, Jamnagar, Devbhumi, Dwarka, Kutch, Porbandar	05
	TOTAL		266

श्री नरेश अग्रवालः माननीय सभापति जी, वैसे सूखे पर इस सदन में ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Let him ask the question.

श्री नरेश अग्रवालः माननीय सभापति जी, वैसे सूखे पर इस सदन में काफी चर्चा हुई है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि कृषि मंत्री जी अगर आप स्पष्ट उत्तर दें, घुमा-फिराकर न दें, तो शायद सही चीजें सामने आ सकेंगी।

श्री सभापतिः आप अपना सवाल पूछ लीजिए।

श्री नरेश अग्रवालः सर, मैं उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं।

श्रीमन्, राज्यों ने केन्द्र सरकार के समक्ष सूखे पर जो माँग रखी, केन्द्र सरकार ने उसका एक-तिहाई भी राज्य सरकार को नहीं दिया। शायद उसका कारण यह है, जो आप कहते हैं कि हम NDRF की गाइडलाइन के तहत ही मदद कर सकते हैं और उसके आगे नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि NDRF की कौन सी ऐसी गाइडलाइन है, जिससे आप राज्यों की एक्चुअल माँग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और क्या आप उस गाइडलाइन को बदलने की कृपा करेंगे?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, राज्यों में 'राज्य आपदा कोष' होता है और 'राष्ट्रीय आपदा कोष' होता है। हर राज्य के पास 'राज्य आपदा कोष' में 'राष्ट्रीय आपदा कोष' से 75 प्रतिशत राशि जाती है और 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की होती है। इसे वह खर्च करती है। इसके बाद भी यदि स्थिति भयावह होती है, तो वह एक स्मारक पत्र देती है, हम अपनी डिमांड देते हैं। डिमांड देने के बाद फिर चार ऐसे विषय हैं, जिनको कृषि मंत्रालय कोऑर्डिनेट करता है - सूखा, पाला, ओला और कीड़ा लगना। तो 12 राष्ट्रीय आपदाओं में 4 का कोऑर्डिनेशन कृषि मंत्रालय करता है। आप जब आंकड़े देखेंगे, तो पाएंगे कि जो डिमांड आती है, उसमें पहले डिमांड के मुताबिक जितनी राशि मिलती थी, मोदी सरकार के आने के बाद, उससे दोगुना, ढाई गुना, तीन गुना ज्यादा राशि राज्यों को मिल रही है। जो राष्ट्रीय आपदा कोष है, यह गृह मंत्रालय के अंडर है और ये गाइडलाइन्स उसके पहले से बनी हुई हैं, जिनका परिपालन राज्य सरकार भी करती है और भारत सरकार भी करती है। इसके लिए टीम भी जाती है और इसी आधार पर उसका आकलन होता है। मैं इतना ही आपको कहूंगा कि इन दो वर्षों के अंदर जो मानकों में परिवर्तन हुआ है, उसके कारण राज्यों को ज्यादा मिलता है। उदाहरण के लिए मैंने उस दिन भी बताया था कि 2010-11 से 2013-14 तक राज्यों ने राष्ट्रीय आपदा कोष से 1 लाख करोड़ रुपए मांगे थे, मांगना उनका काम है, लेकिन जब टीम गई और उसने जो आकलन किया, तो चार वर्ष में राज्यों को 12 हजार करोड़ रुपए मिले। जब मोदी सरकार आई, तो 2014-15 में राज्यों से 40 हजार करोड़ रुपए की डिमांड हुई और राज्यों को 9 हजार करोड़ रुपऐ से ज्यादा मिले। इसके बाद फिर इस वर्ष यानी 2015-16 में 13 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा अभी तक दिए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले से ज्यादा राशि दी जा रही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री के.सी. त्यागीः बरबादी भी पहले से ज्यादा हुई है।

श्री नरेश अग्रवालः श्रीमन्, मैंने प्रश्न बहुत साफ-साफ पूछा था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मंत्री जी बात को घुमाने में काफी एक्सपर्ट हैं। अगर वे सही-सही में आ जाएं, तो शायद राज्य और केन्द्र का टकराव न हो। जो राज्य और केन्द्र का टकराव है... इन्होंने कहा कि राज्यों का काम मांगना है, जैसे राज्य भिखमंगे हो गए और ये भामाशाह हो गए, इनको देना है।

अब मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश पर आता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2014-15 और 2015-16 में कितनी मांग रखी थी और आपने कितना रिलीज़ किया? एनडीआरएफ की जो गाइडलाइन्स हैं, उनके अनुसार राज्य सरकार की डिमांड को पूरा करने में क्या रुकावट आई?

इसके साथ-साथ ही जो मौतें हो रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की आत्महत्या की संख्या प्रति वर्ष 36 हजार से ऊपर जा रही है, उस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि सूखे के कारण या खेती में नुकसान या कर्ज के कारण जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या नीति बनाई है और जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको मुआवजा देने की भी केन्द्र सरकार की कोई योजना है?

श्री सभापतिः आपने बहुत-से सवाल एक सवाल में ही पूछ लिए हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंह : सर, मैं सबका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः सर ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः कृपया आप एक सवाल पूछिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, मुझको उत्तर देने का अवसर दिया जाए। माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने जो कहा, उससे यह लगा कि राज्य भिखमंगा है और हम दाता हैं। ऐसा तो मैंने कहा भी नहीं है, लेकिन यदि आप ऐसा समझते हैं, तो आज़ादी के बाद एक बार ऐसी भी सरकार बनी है, जिसमें आप यहां रहे हैं और उस समय आपने ऐसा व्यवहार जरूर किया होगा कि राज्य भीख मांगता रहा होगा और आप राजा की तरह व्यवहार करते रहे होंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः सर, क्या यह जवाब है? ...(**व्यवधान**)... सर, यह तो आरोप-प्रत्यारोप है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः सर, उन्होंने कहा कि राज्य मांगते रहते हैं और हमारा काम देना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नहीं, नहीं, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः सर, उन्होंने राज्यों को भिखमंगा बताया। ...(**व्यवधान**)... महोदय, कल ही मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस वर्ष कितनी मांग की और हमने कितना दिया, वह रिकॉर्ड पर है। माननीय सदस्य यहां मौजूद थे। जहां तक किसान की आत्महत्या का सवाल है और इस संबंध में सरकार क्या कर रही है, इस संबंध में मैं श्रीमान् जी को बताना चाहूंगा कि यह जो आत्महत्या है, यह पहले से देश में चलती आ रही है। यह बहुत ही दुखद है, इसकी चिंता हम सबको है कि लोकतंत्र में लोकशाही ऐसी व्यवस्था न करे, जिससे किसान को आत्महत्या करनी पड़े। मैं मानता हूं कि जो रिलीफ होती है, उस रिलीफ से उसकी पूरी भरपाई नहीं होती है। यह तो मरहम होता है। जो हजारों परिवार समाप्त हुए, उसके पीछे कारण यह था कि उसको उत्पादन में जितना पैसा लगा, उसकी भरपाई करने के लिए सन् 2000 में एक योजना चली थी ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः सर ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नरेश जी, कृपया आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Please let him complete. ...*(Interruptions)*... Let him complete. ...*(Interruptions)*...

श्री राधा मोहन सिंहः सर, सन् 2000 में 'कृषि बीमा योजना' चली थी। यह राहत तो मरहम है, उसकी पूरी भरपाई हो, इसके लिए 'कृषि बीमा योजना' चली थी और उस बीमा योजना में कुछ विसंगतियां थीं। उनको दूर करने के लिए पिछली सरकार ने कुछ कदम उठाए, लेकिन इसके लिए जो कदम उठाए, उसमें यह व्यवस्था कर दी कि किसान की जो उत्पादन लागत है, यदि उसकी फसल

प्राकृतिक आपदा में समाप्त होती है, तो उसकी पूरी भरपाई नहीं होगी। उसमें capping कर दी गई ताकि राज-खजानों पर बोझ न पड़े। हमारी सरकार "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" लाई है। मैं विनती करूंगा कि राज्यों में इसे लागू कराया जाए। ...(**व्यवधान**)... अभी "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" लागू हो गई, तो किसानों की पूरी भरपाई होगी और इससे इस पर रोक लगेगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः बलविंदर सिंह जी ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः चेयरमैन साहब, अगर आप इस जवाब से संतुष्ट हैं तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन देश में जिस हिसाब से किसान मर रहा है, उसके प्रति सरकार गम्भीर नहीं है। इन्होंने कोई योजना नहीं बताई है। यह कह देना कि निरंतर ...(**व्यवधान**)... इससे लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नरेश जी, देखिए समय कम है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः सरकार इसके लिए गंभीर है, इसीलिए तो "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" लाई है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Look, we are running out of time. Please let the question be asked. ...*(Interruptions)*... बलविंदर सिंह जी, आप सवाल पूछिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः वह यह योजना इसीलिए लाई है, ताकि किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई हो। ...(**व्यवधान**)...

श्री बलविंदर सिंह भुंडरः ऑनरेबल चेयरमैन साहब, हम आपके ज़रिए यह कहना चाहते हैं कि पूरे देश में केवल 10 स्टेट्स को सूखा राज्य डिक्लेयर किया गया है, जबकि बारिश पूरी कंट्री में कम हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पंजाब में बारिश बहुत कम हुई है। हमने ग्राउंड वॉटर और सरफेस वॉटर वर्ता, क्रॉप ज्यादा पैदा की है, लेकिन वहां किसान का बहुत नुकसान हुआ है। सर, मैं आपके ज़रिए यह जानना चाहता हूं कि drought के जो मापदंड हैं, क्या आप उनको बदलेंगे? क्योंकि हमने किसी तरह मेहनत करके पैदावार तो उगा ली, लेकिन अगर किसी स्टेट में बारिश ही कम हो तो उस स्टेट को 'drought State' declare करने के लिए क्या आप मापदंड को बदलेंगे?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, जो मैनुअल बना है, उसके आधार पर राज्य सरकार को ही यह अधिकार है कि वह यह डिक्लेयर करे कि उसके राज्य का कौन सा हिस्सा सूखा है? राज्य सरकारें पहले वह डिक्लेयर करती हैं और फिर हमें प्रस्ताव देती हैं और फिर उस आधार पर वहां टीम भेजकर हम उसका आकलन करते हैं। जो भी राज्य सरकार हो, यह डिक्लेयर करने का अधिकार उसके पास ही है।

डा. संजय सिंहः माननीय महोदय, अभी हाल ही में इस सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है, जिसमें सभी माननीय सदस्यों ने एक कॉमन डिमांड की, जिसके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार बड़े अच्छे आश्वासन देती है और बहुत सारी घोषणाएं करती है, तो क्या इस महत्वपूर्ण और बड़ी गम्भीर समस्या को देखते हुए वह हमारे किसानों के कृषि-ऋण माफ करने की योजना बना रही है?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, उत्पादन बढ़े, लागत कम हो और किसानों को अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज़, आप लोग बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... जिनका सवाल है, उसका जवाब सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए, यह आपका सवाल नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः किसानों की दीर्घकालीन खुशहाली के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः श्री विशम्भर प्रसाद निषाद। ...(**व्यवधान**)...

डा. संजय सिंहः माननीय महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए। ...(**व्यवधान**)... मैंने बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि आप कोई माफी योजना बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)... भारत एक कृषि प्रधान देश है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please let him ask the question. *...(Interruptions)...*

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि किसानों का जो क्रेडिट कार्ड बनता है और उससे किसान जो लोन लेता है, उसमें कृषि बीमा और उसके स्वयं का बीमा भी शामिल होता है, जबकि उस क्रेडिट कार्ड में बैंकों द्वारा बीमा की कोई राशि नहीं दी जाती है। उनको न तो उनकी फसल की राशि दी जाती है और न ही उनकी आत्महत्या पर अथवा उनके मरने पर कोई राशि दी जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है या वह इसके लिए क्या उपाय करेगी?

श्री राधा मोहन सिंहः मान्यवर, जो फसल बीमा योजना है, किसान जो ऋण लेता है ...(**व्यवधान**)...

श्री हुसैन दलवईः सर, ये वही बात बार-बार बता रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Dalwai, please sit down. *...(Interruptions)...*

श्री हुसैन दलवईः सर, यह क्या चल रहा है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Let the question be answered. *...(Interruptions)...* निषाद जी, आप भी बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, उनका कहना सही है। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य ने सही सवाल उठाया है। ...(**व्यवधान**)... सर, माननीय सदस्य का जो सवाल है, वह व्यावहारिक दृष्टि से बहुत जायज़ है। हम भी गांव में रहते हैं। किसान जब कर्ज़ा लेता है, तो उस समय फसल बीमा के लिए प्रीमियम कटता है। इसमें इतनी विसंगतियां थीं कि क्रॉप कटिंग का जो आकलन होता है या आंकड़े इकट्ठे होते हैं, उसमें वर्षों लगते हैं। अभी जो 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' आयी है, उसमें उन विसंगतियों को दूर किया गया है। दूसरी बात मैं यह ध्यान में लाना चाहता हूं कि कौन सी बीमा कम्पनी किस राज्य में काम करे, इस संबंध में राज्य सरकार टेंडर करती है और वह बीमा कम्पनी को तय करती है। उन विसंगतियों को इस 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' में दूर करने की कोशिश की गयी है।

श्री नरेश अग्रवालः महोदय ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नरेश जी, आपका सवाल खत्म हो गया है।

श्री नरेश अग्रवालः यह सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आपका विचार अलग चीज़ है। This is Question Hour please. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवालः किसानों द्वारा आत्महत्याएं नहीं रुक रही हैं। इसके विरोध में हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

Setting up of new Horticulture University in Telangana

*65. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government has decided to set up a new Horticultural University in Telangana;

(b) if so, the present status of the proposal; and

(c) the time by which the work on the project is likely to be taken up?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. During the Budget presentation in the Lok Sabha in the year 2014-15, Hon'ble Finance Minister, Government of India announced establishment of Horticultural University in Telangana. As per the budget announcement, financial support has been extended for State Horticultural University in Telangana State.

(b) and (c) A notification dated 22.12.2014 was issued by the Government of Telangana for establishment of Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University with Headquarters of Rajendranagar Campus, Hyderabad. Subsequently, the Government of Telangana on 29.09.2014 communicated that an area of about 500 ha has been identified at Mulugu, Medak District in Telangana State. The Department of Agricultural Research and Education has already released ₹ 10.00 crore during financial year 2014-15, and ₹ 74.99 crores during financial year 2015-16 to the Telangana State University. Further, an allocation of ₹ 50.00 crore has been made in the Budget Estimates (BE) for the year 2016-17.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, the University runs on a long grant pattern. जो हम यूएसए से नकल करके यहां जारी कर रहे हैं। इसका mandate है, education, research and extension of horticulture domain. सरकार ने जवाब दिया है कि हम मुलुगु में कहीं ज़मीन ले रहे हैं, हम कर रहे हैं। मेरा बुनियादी सवाल यह है कि प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम soil testing करेंगे, हम फलानां करेंगे...

श्री सभापतिः आपका सवाल क्या है?

श्रीमती रेणुका चौधरीः सर, मैं सवाल पर आ रही हूं, उसके लिए थोड़ा तो मंत्री जी को...